



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26052026-272880  
CG-MH-E-26052026-272880

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2529]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2529]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 22 मई, 2026

का.आ. 2621(अ).— रेलवे (संशोधन) अधिनियम -2008 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (ब) में नामित अधिकारियों को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है, जो गुजरात राज्य में,

- (1) पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल पर साबरमती डी केबिन - सरखेज सेक्शन (21 किलोमीटर) के दोहरीकरण की विशेष रेलवे परियोजना एवं
- (2) पश्चिमी रेलवे के भावनगर मंडल पर सरखेज से धोलेरा तक नई बीजी दोहरी लाइन (109.16 किमी) + लोथल एनएमएचसी और धोलेरा हवाई अड्डे के लिए स्पर लाइन (20.40 किमी) विशेष रेलवे परियोजना,

के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है, जो कि उक्त तालिका के कॉलम (क) में उल्लिखित जिले से संबंधित है, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के संबंध में 4 दिसंबर, 2025 की अनुमोदित राजपत्र अधिसूचना संख्या 5409 और 5410 को इस राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।

**सारणी**

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	जिला
(अ)	(ब)	(क)
1	द्वितीय विशेष भूमि संपादन अधिकारी – कलेक्टर अहमदाबाद कार्यालय	अहमदाबाद

[फा. सं. E-661502-04]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)II

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[Western Railway (Construction Organization)]**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd May, 2026

**S.O. 2621(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (B) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the

(1) Special Railway Project of “Doubling of Sabarmati D cabin – Sarkhej Section (21 KM) on Bhavnagar Division on Western Railway in Gujarat state &

(2) Special Railway Project in in the state of -New BG double line from Sarkhej to Dholera (109.16KM) + spur line for Lothal NMHC and Dholera airport (20.40KM) of Bhavnagar Division on Western Railway,

relating to District mentioned in Column (C) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

The approved gazette notifications no. 5409 & 5410 dated 4<sup>th</sup> December, 2025 regarding above both projects are superseded by this gazette notification.

**TABLE**

S. No.	Competent Authority	District
(A)	(B)	(C)
1	Second Special Land Acquisition Officer – O/o Collector-Ahmedabad	Ahmedabad

[F. No. E-661502-04]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (Const)II